<u>प्रकरण संख्या 102/2018 श्रीमती सुमित्रा व अन्य बनाम लालु व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा में वाद पत्र की कमल संख्या 1 में वर्णित आराजियात स्थित है। उक्त आराजियात के वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदार है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्से को उसके दादा गोकुल जी ने वादीगण के पिता को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, तब से प्रतिवादीगण के हिस्से पर वादीगण काबिज हैं, किन्तु आराजियात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से विवादित आराजियात अन्य को विक्रय करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजियात में प्रतिवादीगण का जो हिस्सा दर्ज है, उसका वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2018 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03.12.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री कुलदीप जी उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की कोई सम्मन तामिल नहीं करवायी गयी एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 14.11.2018 को पटवारी हल्का से हुई। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested

तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रेकार्ड देखे गलत तामीलों के आधार पर निर्णय पारित किया है। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 10 श्रीमती सावित्री देवी का स्वर्गवास दिनांक 04.11.2016 को हो गया, इसकी जानकारी वादीगण को होते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ डिक्री प्राप्त कर ली है। श्रीमती शान्ति देवी का भी स्वर्गवास दौराने दावा हो गया था। प्रतिवादीगण की तामिले गलत पते पर हुई हैं, कोई भी तामिल विधिवत नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी का अवलोकन किये बगैर निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 14.02.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी दो पेशियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल होने से प्रकरण में पेशी दिनांक 30.05.2018 को नियत की गयी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 की अनुपस्थिति का अंकन करते हुए मात्र प्रतिवादी संख्या 1 की स्वीकारोक्ति के जवाबदावे के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हम यह भी पाते हैं कि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 10 श्रीमती सावित्री देवी एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती शान्ति देवी की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी मरे के खिलाफ डिक्री पारित कर दी। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को हम त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 10:53:32 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर